न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः के.आर.खौड़, आर.ए.एस.)

प्रार्थी

श्री जितेन्द्र कुमार गर्ग पुत्र बाबुलाल जी गर्ग, जाति- गर्ग, निवासी- सिन्दरथ, तहसील व जिला- सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, सिन्दरथ, तहसील व जिला- सिरोही
2. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही

पंचायत निगरानी संख्याः 23/2022

''निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994''

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार पुरी, प्रार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री सुरेश वैष्णव, अप्रार्थी संख्या-1 (एक) की ओर से

-: **निर्णय** :- **दिनांक 08 जुलाई, 2022**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही द्वारा यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, सिन्दरथ द्वारा प्रार्थी जितेन्द्र कुमार गर्ग के विरुद्ध जारी नोटिस क्रमांकःग्रा.पं.सि./2022/208 दिनांक 29.3.2022 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या-1(एक) की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश वैष्णव उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या-1 की ओर से जवाव प्रस्तुत किया। जबकि अप्रार्थी संख्या-2 को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुये एवं न ही अप्रार्थी संख्या-2 की ओर से जवाब प्रस्तुत हुआ।

(3) प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री पुरी ने बहस के दौरान निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थी के बाप दादाओं के समय से पुराना पुश्तैनी भोगघटे का एक आवासीय मकान मौजा ग्राम सिन्दरथ में आया हुआ है। प्रार्थी के भूखण्ड A-पार्ट की चतुर्दशी उत्तर में छोगाजी पुत्र केसाजी माली का मकान, दक्षिण में कपुराराम पुत्र वनाजी घांची का मकान, पूर्व में शंकर पुत्र उकाजी मेघवाल का मकान, पश्चिम में पुनाराम पुत्र मोतीजी गर्ग का मकान रास्ता (आम चौक) है एवं इसका नाप उत्तर-दक्षिण 60.3 फीट एवं पूर्व-पश्चिम 31 फीट कुल क्षेत्रफल 1869.3 वर्गफीट है। इस तरह प्रार्थी के भूखण्ड B-पार्ट की का नाप उत्तर-दक्षिण 10.6 फीट व 27.9 फीट कुल क्षेत्रफल 295.74 वर्गफीट है। उक्त वर्णित नाप व चतुर्दशी की सम्पति प्रार्थी के पुश्तैनी कब्जे स्वामित्व की है जिस पर प्रार्थी अपने परिवार सहित नि[illegible] की मृत्यु हो चुकी है। प्रार्थी के आवासीय मकान जो नजरी नक्श[illegible], बी, सी, डी, ई, एफ से दर्शाया है। इस नजरी नक्शे [illegible] नाप 1869.3 वर्गफीट व

.....पेज

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.11.17 16:52:48 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

मार्क Y का नाप 295.74 वर्गफीट है। प्रार्थी अपने बाप दादाओं के समय से उक्त मकान में पिछले 70 वर्षो से रहते आ रहे है उक्त मकान काफी पुराना व जर्जर हो जाने से प्रार्थी ने जर्जर मकान को गिराकर उसी नीवो पर एक हॉल व 2 कमरों का निर्माण कार्य किया है ताकि जर्जर हुए मकान के गिरने से कभी जनहानि नही हो। प्रार्थी को उसके जर्जर मकान को गिराकर नये सर निर्माण करने का कानूनन हक अधिकार है। प्रार्थी द्वारा अपने पुश्तैनी सम्पत्ति पर निर्माण कार्य किये जाने से प्रार्थी ने पश्चिम दिशा में आये पडौसी पुनाराम गर्ग जो प्रार्थी का रिश्ते में भाई लगता है के द्वारा एक शिकायत इस आशय की प्रस्तुत की गई कि प्रार्थी द्वारा पूनाराम के स्वामित्व की भूमि पर ईशान कोण में 10.6X10 फीट कोने वाली भूमि पर अवैध कब्जा कर उस पर एक कमरे का निर्माण किया गया है उसको हटाया जाये, जो नजरी नक्शें में मार्क ई, एफ, जी, एच से दर्शाया गया है, जबकि उक्त सम्पति प्रार्थी के स्वामित्व व मालकी की पुश्तैनी सम्पति है एवं प्रार्थी द्वारा कोई अवैध कब्जा कर निर्माण नही किया है। यह कि प्रार्थी के पडौसी पूनाराम गर्ग द्वारा शिकायत करने पर उसकी जांच विकास अधिकारी द्वारा पंचायत समिति, सिरोही के सहायक विकास अधिकारी से करवाई गई। इस जांच रिपोर्ट से साबित हो चुका है कि उक्त भूमि का विवाद प्रार्थी व उसके पडौसी पूनाराम गर्ग के मध्य है, जो दो पक्षों का निजी विवाद है एवं दोनों उक्त भूमि को अपनी अपनी होना बता रहे है। इस प्रकार, उक्त जाँच रिपोर्ट से साबित होने के बावजूद भी ग्राम पंचायत, सिन्दरथ द्वारा प्रार्थी के उक्त निर्माण कार्य के संबंध में अनाधिकृत रुप से नोटिस दिनांक 29.03.2022 को नोटिस प्रेषित कर निर्माण कार्य बावत स्थगन आदेश पारित किया गया है एवं अप्रार्थी संख्या- 2 द्वारा यह जानते हुए कि उक्त विवाद दोनों पक्षकारों के मध्य निजी विवाद है फिर भी अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा जांच रिपोर्ट से परे जाकर प्रार्थी द्वारा किये गये निर्माण कार्य को हटाये जाने के संबंध में विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही द्वारा ग्राम पंचायत, सिन्दरथ को निर्देश व आदेश पारित किया गया है जो आदेश सर्वथा विधि विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है एवं अप्रार्थी संख्या 1 ने नियम विरूद्ध तरीके से पंचायत की बैठक प्रस्ताव पारित करवाये बिना ही मनमर्जी से राजनैतिक द्वेष भावना रखते हुए राजनैतिक दवाव में आकर प्रार्थी जो कि पंचायत समिति, सिरोही का निर्वाचित सदस्य है को दिनांक 26.05.2022 को उक्त निर्माण कार्य हटाने के संबंध में दिनांक 03.06.2022 को तिथि भी तय करने का आदेश पारित किया है। जबकि अप्रार्थीगण को उक्त आदेश पारित करने का कोई अधिकार नहीं होने से एवं राजस्थान पंचायती राज नियमों के विपरित जाकर उक्त आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि प्रार्थी द्वारा जो निर्माण कार्य किया गया है उसे अप्रार्थीगण द्वारा यह आरोप लगाते हुए कि उसके द्वारा कोई निर्माण स्वीकृति प्राप्त नही की है एवं ग्राम पंचायत, सिन्दरथ द्वारा निर्माण कार्य नही करने हेतु पाबन्द करने के बावजूद निर्माण कार्य पूर्ण किया है। जबकि अप्रार्थीगण को उक्त निर्माण कार्य को रोकने व उस पर स्थगन आदेश देने का कोई हक अधिकार नहीं था [illegible] भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है एवं न ही उक्त प्रकरण अतिक्रमण का मामला है बल्कि दोनो पक्षकारान के मध्य निजी भूमि का विवाद है [illegible] होने से अप्रार्थीगण को

....पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.11.17 16:52:48 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

प्रार्थी के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है बल्कि कोई व्यथित पक्षकार है तो वह सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने अपने अधिकार क्षेत्र में नही होते हुए भी जो नोटिस जारी किये है जो कानून सम्मत नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 168 में स्पष्ट प्रावधान दिया गया है कि 2/- रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से निर्माण स्वीकृति की राशि ली जा सकती है एवं अधिकतम 500 /- रूपये लेने का प्रावधान है। यदि प्रार्थी द्वारा निर्माण स्वीकृति प्राप्त नही की है तो अप्रार्थीगण को अधिकतम राशि रुपये 1,000/- (रुपये एक हजार मात्र) लेने का अधिकार है। चूंकि इस प्रकरण में विवाद पंचायत की भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में नही होकर दो व्यक्तियों के मध्य निजी भूमि के संबंध विवाद है एवं यह तथ्य सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही की जांच रिपोर्ट से भी साबित है कि यह प्रकरण अतिक्रमण से संबंधित नही होकर दो व्यक्तियों के मध्य निजी भूमि के विवाद से संबंधित है, फिर भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को नुकसान कारित करने की नियत से नियमों के परे जाकर प्रार्थी के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। यह कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 165 के तहत यदि पंचायत की भूमि पर अतिचार कर निर्माण कार्य किया है तो भी उसे सुनवाई का अवसर दिये जाने का प्रावधान है, लेकिन यह प्रकरण अतिक्रमण के संबंध में नही होकर दो व्यक्तियों (प्रार्थी जितेन्द्र कुमार गर्ग व पूनाराम गर्ग) के मध्य निजी भूमि के विवाद से संबंधित होने के बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा राजनैतिक दबाव में आकर प्रार्थी को नुकसान करने की नियत से प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही प्रार्थी के पुश्तैनी स्वामित्व की भूमि पर किये गये निर्माण को हटाने की कार्यवाही की गई है, जो कानूनन गलत है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, सिन्दरथ द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध जारी आदेश/नोटिस दिनांक 29.3.2022 को निरस्त करना फरमावे। जबकि अप्रार्थी संख्या-1 (एक) के विद्वान अधिवक्ता श्री वैष्णव ने अप्रार्थी संख्या-1 की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थी का निगरानी आवेदन राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97(1) के तहत कानूनन परिपोषणीय नही है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97(1) के अनुसार निगरानी उन मामलो मे पेश की जा सकती है जिनमें किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थायी समिति या उपसमिति का अभिलेख उनमें पारित किसी भी विनिश्चय या आदेश से सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य के बारे में ऐसी कार्यवाहीयों की नियमितता के बारे मे स्वयं का समाधान करने लिए मंगा सकेगी और उसकी परिक्षा कर सकेगी और उसकी परिक्षा कर सकेगी और यदी किसी भी मामलें मे राज्य सरकार को यह प्रतीत होता हो कि ऐसे किसी भी विनिश्चय या आदेश को उपांतरित या बातिल किया उलट दिया या पुनर्विचारार्थ विप्रेषित किया जाना चाहिए तो वह तदनुसार आदेश पारित कर सकेगी। इससे यह स्पष्ट है कि कानूनी तौर पर उन मामलों मे निगरानी पेश [illegible] सकती है जिनमें किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थायी समिति [illegible] उपस[illegible] द्वारा किसी भी कार्यवाही मे कोई आदेश या निर्णय पारि[illegible] मामले में ग्राम पंचायत,

.....पेज चार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.11.17 16:52:48 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

सिन्दरथ द्वारा ऐसा कोई आदेश या निर्णय पारित नही किया गया है, केवल मात्र नोटिस प्रेषित किया है तथा ऐसा नोटिस न तो किन्ही कार्यवाही में कोई आदेश है तथा न ही कोई निर्णय जिस कारण से प्रश्नगत नोटिस पर निगरानी नही होती है। यह कि प्रार्थी वर्तमान में पंचायत समिति सिरोही का सदस्य है तथा ग्राम सिन्दरथ पंचायत का प्रतिनिधित्व करता है ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत सिन्दरथ का निर्वाचित प्रतिनिधी होते हुए भी बिना निर्माण स्वीकृति के अविधिक तरीके से अपने पद के प्रभाव का दुरूपयोग करते हुए मनमर्जी से पंचायत के स्वामित्व की आबादी भूमि पर अतिकमण कर निर्माण कार्य किया जा रहा है। एक जन प्रतिनिधि से जहा यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने प्रतिनिधित्व क्षेत्र मे अवैधानिक निर्माण कार्य एवं अतिक्रमण को रोके, जबकि इस प्रकरण मे स्वयं प्रार्थी अपने क्षेत्र का पंचायत समिति का चुना हुआ प्रतिनिधी होकर अपने पद का दुरूपयोग कर अतिकमण और अवैध निर्माण कार्य को बढ़ावा दे रहा है जो कानूनन और भी गम्भीर एवं गलत है। प्रश्नगत मामले में विवादित भूमि आबादी भूमि होकर पंचायत के मालकी एवं स्वामित्व की है जिस पर प्रार्थी का कभी कब्जा नही रहा है तथा न ही उक्त भूमि पर प्रार्थी या उसके पूर्वजों का कोई कब्जा रहा है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 165 (3) के अनुसार पंचायत को अपने आबादी क्षेत्र में अतिचारियों को नोटिस प्रेषित करेगी तथा ऐसे अतिचार या अतिक्रमण के सम्बन्ध मे सरपंच को अधिकार होगा कि अतिक्रमण के विरूद्ध निषेधाज्ञात्मक आज्ञा जारी कर तुरन्त अतिक्रमण या निर्माण रोक दे अन्यथा उसके खर्चे एवं हर्जे पर ऐसा अतिक्रमण हटा दिया जाएगा। प्रश्नगत मामले में प्रार्थी द्वारा अपने पद एवं प्रभाव का दुरूपयोग करते हुए पंचायत की आबादी भूमि पर अतिक्रमण करने के दुराशय से पंचायत से निर्माण स्वीकृति प्राप्त किये बिना निर्माण किया जा रहा है जिस पर ग्राम पंचायत ने प्रश्नगत नोटिस प्रेषित किया, जो विधि अनुरुप है। यह कि विवादित भूखण्ड के सम्बन्ध मे प्रार्थी के पडौसी पूनाराम पुत्र मोतीजी गर्ग द्वारा जिला कलेक्टर सिरोही को शिकायत प्रस्तुत की गयई थी जिसके आधार पर सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति सिरोही द्वारा जांच की गयी जिसमें निगरानी आवेदन में वर्णित पार्ट (बी) नाप 295.74 वर्गफिट विवादित भूखण्ड पर पूनाराम पुत्र मोतीजी का पुराना कब्जा होना पाया गया है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी का उपरोक्त कथन कि विवादित भूमि पर उसका पुराना पुश्तैनी कब्जा एवं स्वामित्व है तथा जिस पर पुराना मकान बना हुआ था, प्रार्थी का यह कथन पूर्णतया मिथ्या व गलत है। यह कि निगरानी आवेदन के पद संख्या एक मे वर्णित ए पार्ट की भूमि प्रार्थी के पुराने बाप दादो के समय की पुश्तैनी कब्जे भोगवटे की होने का तथ्य भी गलत है, क्योंकि पंचायत मे कब्जे के संबंध में ऐसा कोई रेकर्ड नही पाया गया तथा न ही प्रार्थी द्वारा निगरानी आवेदन के पद संख्या-1 में वर्णित ए-पार्ट की भूमि पर पुश्तैनी कब्जा होने के संबंध में कोई दस्तावेज पेश किये गये है तथा न ही उक्त ए-पार्ट की भूमि का पट्टा के संबंध मे पंचायत में पूर्व में किसी प्रकार के आवेदन या इस सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध मे कोई दस्तावेजात पेश किये जिस कारण निग[illegible] के पद संख्या एक मे वर्णित तथाकथित नाप एवं चतुर्द[illegible] से पुराने पुश्तैनी कब्जे भोगवटे की होने का कथन भी गलत [illegible] यह कि निगरानी आवेदन के पद

....पेज पांच पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.11.17 16:52:48 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला ... सिरोही

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

संख्या-1 में वर्णित पार्ट-बी की भूमि की चतुर्दशी दर्शित नही की है इस कारण से पार्ट-बी की भूमि कौनसी जगह पर है स्पष्ट नही हो रहा है। यह कि निगरानी आवेदन में वर्णित पार्ट-ए की जमीन आबादी भूमि में स्थित होकर पंचायत के स्वामित्व की भूमि है जिस पर प्रार्थी का पुश्तैनी कब्जा होने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रार्थी द्वारा पेश नही किया गया है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थी के निगरानी आवेदन के पद संख्या एक मे वर्णित तथाकथित पार्ट-ए की भूमि पर अवैधानिक तरीके से काबिज होकर पंचायत भूमि का अतिक्रमी है तथा पंचायत भूमि पर हुए अतिक्रमण के सम्बन्ध मे उचित कार्यवाही करने का राजस्थान पंचायत राज कानून के नियम 165(3) मे पंचायत को पूर्ण शक्तियाँ प्राप्त है। यह कि प्रार्थी स्वयं पंचायत समिति सदस्य होकर पद का दुपयोग कर पंचायत के स्वामित्व की भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर अवैध निर्माण कार्य करने का प्रयत्न कर रहा है, जिसे रोकने व हटाने का ग्राम पंचायत को कानूनन पूर्ण अधिकार है। यह कि प्रार्थी ने निगरानी आवेदन में नजरी नक्शें का उल्लेख किया है, लेकिन प्रार्थी ने निगरानी आवेदन के साथ ऐसा कोई नजरी नक्शा संलग्न पेश नही किया है तथा न ही ऐसे तथाकथित नजरी नक्शा की प्रति निगरानी के साथ ग्राम पंचायत को प्राप्त हुयी है ऐसी स्थिति मे निगरानी आवेदन के पद संख्या 2 में वर्णित तथाकथित नजरी नक्शे में मार्क ABCDEF से दर्शित करने तथा मार्क-एक्स का नाप 1869.3 वर्गफिट भूमि तथा मार्क वाई का नाप 295.74 वर्गफिट भूमि होने का कथन जानकारी के अभाव में पूर्णतया अस्वीकार है तथा ऐसा कोई नजरी नक्शा संलग्न नही होने से उपरोक्त तथाकथित निगरानी आवेदन विधि के प्राज्ञापक एवं सुनवाई के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरित होने से काबिल खारिज योग्य है। यह कि निगरानी आवेदन में अंकित सम्पति पर प्रार्थी का 70 वर्षो से कब्जे के संबंध में पंचायत में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये है एवं न ही ऐसा कोई रेकर्ड पंचायत में उपलब्ध है। यह कि प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत की अनुमति के बिना ही नया निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, जबकि प्रार्थी स्वयं पंचायत समिति सिरोही का निर्वाचित सदस्य है। यह की प्रार्थी के निगरानी आवेदन के पद संख्या एक मे वर्णित पार्ट-ए की नाप एव चतुर्दशी वाली आवासीय परिसम्पति पुश्तैनी कब्जा भोगवटे की होने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रार्थी ने प्रस्तुत नही किये व न ही ऐसा कोई रेकर्ड पंचायत उपलब्ध है ऐसी स्थिति में, उक्त वर्णित भूमि आबादी भूमि होने से पंचायत के स्वामित्व एवं मालकी की परिसम्पति है। जंहा तक ईशान कोण में 10.6X10 फीट कोने वाली भूमि पर कब्जा कर उस पर कमरे का निर्माण प्रार्थी द्वारा करने एवं इस सम्बन्ध मे पड़ौसी पूनाराम गर्ग द्वारा स्वयं की सम्पति बताकर शिकायत जिला कलक्टर, सिरोही को की गई शिकायत की जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में दो व्यक्तियों प्रार्थी व पूनाराम गर्ग के मध्य निजी भूमि का विवाद होना बताया जा रहा है, जबकि ग्राम पंचायत, सिन्दरथ के रेकर्ड अनुसार प्रश्नगत भूमि के संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा कोई पट्टा जारी किया हुआ नही है एवं न ही प्रश्नगत भूमि पर पुराना कब्जा होने के संबंध में कोई दस्तावेज है। ऐसी स्थिति में, प्रश्नगत भूमि ग्राम पंचायत के [illegible] की आबादी भूमि है, जिस पर हुये अवैध निर्माण को हटाने का ग्राम पंचायत को [illegible] पूर्ण अधिकार है। यह कि विकास अधिकारी द्वारा कि[illegible] भी साबित है कि प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.11.17 16:52:48 IST
Reason: SelfAttested

....पेज छः पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

जितेन्द्र कुमार द्वारा न केवल पंचायत भूमि बल्कि ईशान कोण मे 10.6x27.9 वर्गफीट कोने वाली भूमि (तथाकथित पार्ट-बी वाली भूमि जो मूल विवादित परिसम्पति है) जो सार्वजनिक आम रास्ते की भूमि है पर अवैध अतिक्रमण कर बिना निर्माण स्वीकृति प्राप्त किये बिना ही निर्माण कार्य किया गया है जिसे मौका निरीक्षण रिपोर्ट में ए एफ ई एच एवं आगे ए व बी लाईन के बीच मे डाटेड किया गया है तथा पंचायत द्वारा मौका निरिक्षण के दौरान एवं नोटिस देते समय जो फोटोग्राफस खिचे गये उसमे भी स्पष्ट है कि मौका निरिक्षण रिपोर्ट मे बनाये नजरी नक्शे मे दर्शित एफ ई एवं एच स्थान पर पुरानी पंचायत नाली बनी हुयी थी जिसे प्रार्थी जितेन्द्र कुमार ने तोड़ कर मौके कि स्थिति मे फेरबदल कर अवैध निर्माण कार्य कर एक कमरे का निर्माण किया है, जिसे मौका निरिक्षण रिपोर्ट में मार्क ए दर्शित किया गया है जो सार्वजनिक आम रास्ते की भूमि है जिस पर प्रार्थी जितेन्द्र द्वारा पार्ट ए की भूमि के कब्जे की आड़ मे आम रास्ते की सार्वजनिक भूमि पर अवैध निर्माण कर कमरा बनाकर आम रास्ते को अवरूद्ध कर अतिक्रमण किया गया है। यह कि प्रार्थी जितेन्द्र कुमार के पडौसी पुनाराम पुत्र मोतीजी गर्ग द्वारा जिला कलक्टर, सिरोही को शिकायत करने पर जिला कलक्टर, सिरोही द्वारा स्टार प्रकरण संख्या 1152/21.03.2022 दर्ज किया गया तथा विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही को विवादित भूखण्ड का निरिक्षण कर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया जिस पर विकास अधिकारी पंचायत समिति सिरोही द्वारा मौका निरिक्षण किया गया तथा प्रार्थी को सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुए विवादित भूखण्ड पर अपने स्वामित्व एवं पुश्तैनी कब्जा साबित करने हेतु अवसर दिया गया उसके बावजूद भी प्रार्थी द्वारा विवादित भूखण्ड के स्वामित्व सम्बन्ध मे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया तथा पंचायत रिकार्ड में भी विवादित भूमि का पट्टा नहीं जारी करना आया है ऐसी स्थिति में विवादित भूमि तथाकथित पार्ट ए की भूमि पंचायत की आबादी भूमि होकर पंचायत के स्वामित्व की है तथा तथाकथित पार्ट ए के ईशान कोण मे 10.6x27.9 फीट कोने वाली भूमि (तथाकथित पार्ट-बी वाली भूमि जो मूल विवादित परिसम्पति है) जो सार्वजनिक आम रास्ते की भूमि है जिसका सरक्षक पंचायत होती है तथा जिस पर अवैध अतिक्रमण एवं अवरूद्ध को रोकना एवं हटाना पंचायत का विधिक अधिकार एवं नैतिक दायित्व है। यह कि ग्राम पंचायत सिन्दरथ द्वारा दिनांक 29.03.2022 को किसी भी प्रकार का कोई आदेश या निर्णय पारित नहीं किया गया है वरन पडौसी पुनाराम गर्ग द्वारा जिला कलक्टर, सिरोही को की गई उक्त शिकायत के आधार पर विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही के निर्देश की पालना में जांच के विचारन रहने के दौरान निर्माण कार्य नही करने का नोटिस प्रेषित किया गया है जो किसी भी प्रकार से अन्तिम निर्णय या आदेश नहीं है वरन यह कार्यवाही का पार्ट है जिसमे विचारण के दौरान प्रार्थी को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया गया तथा अपना पक्ष एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का भी अवसर दिया गया तथा बाद जाच अप्रार्थी संख्या- 2 [illegible] को प्रार्थी द्वारा राजकीय आदेश की अवहेलना कर किये गये अवैध निर्माण [illegible] नियमानुसार हटाये जाने का आदेश पारित किया है जिसकी [illegible] राजस्थान पंचायत राज अधिनियम के तहत [illegible] जिला परिषद सिरोही को प्रस्तुत की

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.11.17 16:52:48 IST
Reason: SelfAttested

....पेज सात पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

गई है तथा उक्त अपील विचाराधीन है ऐसी स्थिति में जब एक ही प्रकृति का एक प्रकरण जिला परिषद सिरोही में विचाराधीन है तो यह निगरानी आवेदन कानूनन परिपोषणीय नही है। यह कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 165 में ऐसा कोई प्रावधान नही है कि पंचायत की आबादी भूमि पर किये गये अवैध अतिक्रमण के लिए राशि प्राप्त करके उस अतिक्रमण को स्वीकृति दी जा सके। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, सिन्दरथ द्वारा प्रार्थी जितेन्द्र कुमार पुत्र बाबुलाल जी, जाति- गर्ग, निवासी- सिन्दरथ को नोटिस क्रमांक:ग्रा.पं.सि./2022/208 दिनांक 29.3.2022 को इस आशय का जारी किया गया है कि ग्राम सिन्दरथ में ग्राम पंचायत की बिना अनुमति से निर्माण कार्य शुरु किया है जिसकी आप के पडौसी श्री पुनाराम पुत्र मोती जी, जाति- गर्ग द्वारा जिला कलक्टर, सिरोही को शिकायत की गई है, जिसमें विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही के आदेश क्रमांकः 887 दिनांक 28.3.2022 से यह निर्देशित किया है कि सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही द्वारा जांच होने तक निर्माण कार्य बंद कर देवे। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि श्री पूनाराम पुत्र मोती जी गर्ग, निवासी- सिन्दरथ द्वारा जिला कलक्टर, सिरोही को एक शिकायत पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि उसके पडौसी द्वारा उसके मकान में प्लॉट की भूमि पर जबरन अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। जिस पर जिला कलक्टर कार्यालय, सिरोही में श्री पूनाराम का शिकायत पत्र स्टार प्रकरण संख्या 1152 दिनांक 21.3.2022 दर्ज कर इस शिकायत की जांच हेतु विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही को निर्देशित किया गया। जिसके अनुसरण में विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही द्वारा शिकायत पत्र की जांच ग्राम पंचायत, सिन्दरथ के संबंधित सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही को सुपर्द की गई तथा विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही द्वारा सरपंच / ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, सिन्दथ को पत्र क्रमांक:पंससि/पंचायत/2022/887 दिनांक 28.3.2022 के द्वारा प्रकरण में जांच पूर्ण होने तक मौके कार्य को स्थगित करवाने हेतु निर्देशित किया गया। जिसकी पालना में ग्राम पंचायत, सिन्दरथ द्वारा प्रार्थी जितेन्द्र कुमार को उसके द्वारा करवाये जा रहे निर्माण कार्य को बन्द करने हेतु उक्त नोटिस क्रमांक 208 दिनांक 29.3.2022 को जारी किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही की जांच रिपोर्ट एवं उक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही द्वारा सरपंच / ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, सिन्दरथ को जारी पत्र क्रमांक:पंससि/पंचायत/2020-21/116 दिनांक 26.5.2022 के अवलोयकन से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत प्रकरण में मुख्यतः विवाद सम्पति [illegible] का है। प्रार्थी जितेन्द्र कुमार द्वारा विवादित भूमि को उसके [illegible] की बताया जा रहा है, जबकि श्री पूनाराम [illegible] सिन्दरथ द्वारा विवादित भूमि को स्वयं की पुश्तैनी स्वामित्व की बताया गया है। प्रकरण में यह भी स्पष्ट है कि

....पेज आठ पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.11.17 16:52:48 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

विवादित भूमि के स्वामित्व के संबंध में प्रार्थी जितेन्द्र कुमार एवं उक्त श्री पूनाराम दोनों के पास कोई पट्टा या दस्तावेज नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि सम्पति के स्वामित्व का निस्तारण सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है।

प्रकरण में यह तथ्य भी स्पष्ट है कि प्रार्थी जितेन्द्र कुमार द्वारा ग्राम पंचायत, सिन्दरथ से निर्माण कार्य करने की अनुज्ञा प्राप्त किये बिना ही निर्माण कार्य करवाया जा रहा था एवं इस निर्माण कार्य को बन्द करने के लिये ग्राम पंचायत, सिन्दरथ द्वारा प्रार्थी जितेन्द्र कुमार को नोटिस क्रमांक 208 दिनांक 29.3.2022 को जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 68(1)(ix) के अर्न्तगत भवन संनिर्माण के लिये अनुज्ञा हेतु शुल्क राशि रुपये 2/- (अक्षरे रुपये दो मात्र) पक्के संनिर्माण के लिये प्रति वर्गमीटर की दर से लिये का प्रावधान है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 68(1)(xi) के अर्न्तगत यदि पंचायत की अनुज्ञा के बिना अप्राधिकृत संनिर्माण का नियमितीकरण, यदि स्पष्ट हक हो और मार्ग के अधिकार में रुकावट न हो तो शुल्क राशि रुपये 10/- (अक्षरे दस मात्र) प्रति वर्गमीटर की दर से एवं अधिकतम शुल्क राशि रुपये 1,000/-(रुपये एक हजार मात्र) लिये जाने का प्रावधान है। चूंकि इस प्रकरण में विवाद सम्पति के स्वामित्व का है एवं प्रार्थी द्वारा सम्पति के स्वामित्व के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये हे। ऐसी स्थिति में, प्रार्थी का यह निगरानी आवेदन खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

(के.आर.खौड़)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.11.17 16:32:48 IST
Reason: SelfAttested